TWENTY RUPEES

|| श्री ||

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण कमांक /2012 निगरानी — R-1803-PBR/12

दिलीपसिंह पिता नाथूसिंहजी जाति राजपूत
निवासी ग्राम अजडावदा तहसील बडनगर
जिला उज्जैन म.प्र. ---आवेदक

विरूद्ध

माधवदास मृत वारिस–
1 चेतनदास पिता स्व. माधवदासजी
2 भगवानदास पिता स्व. माधवदासजी
3 कृष्णदास पिता स्व. माधवदासजी
4 बलरामदास पिता स्व. माधवदासजी
5 विष्णुदास पिता स्व. माधवदासजी
6 सीताबाई पति स्व. माधवदासजी सर्वगण जाति वैष्णव बैरागी निवासीगण ग्राम रावदियापीर तहसील बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

------अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 1/निगरानी/11–12 मे पारित आदेश दिनांक 27/4/2012 के विरूद्ध निगरानी।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है–

01 यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी एवं तथ्यो के विपरित होकर अपास्त किये जाने योग्य है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक की निगरानी को निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटी की है।

02 यह कि ग्राम अजडावदा स्थित भूमी सर्वे नंबर 68 रकबा 1.07 नगजी पिता कालूजी राजपूत के भूमी स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की थी जिसे आवेदक दिलीपसिंह ने 11/5/2000 को पंजीकृत विकयपत्र द्वारा कय कर आधिपत्य प्राप्त किया तथा भूमी स्वामी स्वत्व से नामांतरण हुआ है । भूमी सर्वे नंबर 68 रकबा 1.07 पूर्व भूमी स्वामी नगजी पिता कालूजी राजपूत को अपने भाई भेरूसिंह आत्मज कालूजी से विभाजन मे प्राप्त हुई है । उपरोक्त भूमी का विपक्षी माधवदास से किसी भी प्रकार से संबंध सरोकार नही रहा है। इस बिन्दु पर विचार नही करने मे योग्य अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर महोदय द्वारा वैधानिक त्रुटी की गई है ।

दिलीपसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1803-पीबीआर/12 **जिला** उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष वैध उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ०३.०१.१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	